पत्रांक–2 / विविध–11–86 / 2012 का॰ 11847

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

एन0 एन0 सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग / विभागाध्यक्ष /
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 17 अक्टूबर ,2012

विषय : **झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम– 2011 का अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम– 2011 पूरे राज्य में दिनांक 15.11.2011 से लागू है। अधिनियम में निर्धारित कालावधि के अन्तर्गत 20 विभागों की 54 सेवाएँ, सेवा देने हेतु अधिसूचित है। नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी के नाम / पदनाम अधिनियम की नियमावली में अधिसूचित हैं। झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम– 2011 नियमावली की धारा, 19 में अधिनियम में अन्तर्निहित सेवाओं का अनुश्रवण करने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम का मूल उद्देश्य है हितधारक को ससमय सेवा प्रदान करना। इस अधिनियम का अनुश्रवण किसी भी तरह हो रहा है या नही, इस आशय की सूचना विभाग को अप्राप्त है; साथ ही विभाग की **शेष अन्य सेवाओं** को भी राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम की **परिधि** में में लाने हेतु सुझाव अप्राप्त है।

अतएव अनुरोध है कि झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम / नियमावली, 2011 के अन्तर्गत प्रदायी चिन्हित सेवाओं के संदर्भ में अद्यतन स्थिति का प्रगति प्रतिवेदन एवं अन्य सेवा को अधिनियम की परिधि में लाने के प्रस्ताव उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, तथा जिला में अभिचिन्हित अनुश्रवण पदाधिकारी के स्तर से कृत कार्रवाई की जानकारी दी जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

15/10/2012

(एन0 एन0 सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव।